उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-10

संख्या-70 /2023/472/23-10-2023-16(सेतु)/2022टीसी

लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2023

शुद्धि-पत्र

जनपद फतेहपुर में वि0ख0 खजुहा ग्राम रणमस्तपुर व नरैचा ग्राम के मध्य रिन्द नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के संबंध में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सेतु)विंग(के पत्र सं0-705/नदी सेतु /प्रयागराज क्षेत्र/बी0एम0सी0/2022 दिनांक 21.11.2022 द्वारा लागत रू0 1554.11 लाख के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-67/2023/001-1351/23-10-22-16/(सेतु)22टीसी दिनांक 03.03. 2023में कार्यदायी संस्था सेतु निगम के स्थान पर त्रुटिवश लोक निर्माण विभाग अंकित हो गया है।

2- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सेतु)विंग(के पत्र सं0-787/सा0-सेतु-31/2022-23, दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्राप्त अनुरोधानुक्रम में उक्त कार्य हेतु पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के स्थान स्थान पर उ0प्र0 राज्य सेतु निगम पढ़ा जाये।

3- प्रकरण में निर्गत उक्त शासनादेश संख्या-67/2023/001-1351/23-10-22-16/(सेतु)22टीसी दिनांक 03.03.सीमा इस को 2023 तक संशोधित समझा जाये तथा शेष तथ्य एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव

संख्या-70 /2023/472/23-10-2023-16(सेतु)/2022टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (निर्माण) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- संबंधित मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग ,लखनऊ ।
8 -संबंधित जनपदों के वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
9 -वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
10 -समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11-बजट आवंटन अधिकारी ,लो0नि0वि0 उ0प्र0 शासन/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in